भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2085
उत्तर दिनांक 07/08/2025 को दिया गया

प्रत्येक राज्य में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

2085. डा. सिकंदर कुमार

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ऐसे प्रत्येक राज्य, जो भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत नहीं आता है, में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में लगने वाले समय को कम करने की योजना है, यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा 'फ्लीट मोड' पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने और देश भर में तीव्र क्षमता निर्माण के लिए वैश्विक सहयोग एवं प्रौद्योगिकीय प्रगति को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) व (ख) नाभिकीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए, कुछ स्थितियां आवश्यक हैं, और केवल भूकंपीय क्षेत्र V में न आने के अतिरिक्त, स्थलों को अन्य भूकंपीय मानदंडों को पूरा करना अपेक्षित है जैसे कि सक्षम भ्रंश से दूरी, भूमि की उपलब्धता, शीतलन जल की उपलब्धता, नींव की स्थिति आदि।

(ग) हां। नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं की निर्माण अवधि को कम करने के लिए, विनिर्माण में अधिक समय लगने वाले उपकरणों की अग्रिम खरीद, मेगा ईपीसी पैकेज जैसे नवीन अनुबंध तंत्र, गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति, उन्नत और सुधारित निर्माण कार्यप्रणालियों को अपनाया गया है।

(घ) सरकार ने प्रत्येक 700 मेगावाट की क्षमता वाले दस स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टरों को शीघ्रगामी (फ्लीट मोड) में स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की थी, जो वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं। नाभिकीय ऊर्जा मिशन में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, शीघ्रगामी (फ्लीट मोड) में स्वदेशी रिएक्टरों और विदेशी सहयोग से बड़े रिएक्टरों की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

*****